न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 120/2022 बउनवानी चरण सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र श्री नोका मीना, निवासी ग्राम बडीला, तहसील बामनवास

GCMS No-2022/196

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स0मा0 की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधि0 स0मा0 के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. कमलेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार बडीला ग्राम पंचायत रानीला तहसील बामनवास की पीओएस मशीन संख्या 30430 को आपके द्वारा दिनांक 19.5.2022 को निलबिंत किया गया इस संबंध में की गयी जॉच एवं कार्यवाही से संबंधित पत्रावली की प्रति उपलब्ध करावे तथा बडीला ढीकरिया व दातासूती के एनएफएसए मे चयनित राशनकार्ड ओर यूनिट की सूचना उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/2987 दिनांक 15.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का अवलोकन कर लिया गया है जिससे अपीलान्ट संतुष्ट होकर अपील पर कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना का लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को सूचना का अवलोकन करवाया जा चुका है तथा सूचना के अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट ने सूचना लेने से इन्कार भी कर दिया है। इस प्रकार अपीलान्ट को अब सूचना की कोई आवश्यकता नही होने के कारण सूचना नही चाहता है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] अभिलेख की जमा हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested